Joint Committee Inspection Report

Submitted in reference to

Hon'ble National Green Tribunal (CZ), Bhopal Order dated 04/03/2025

In the matter of

Original Application No. 21/2025 (CZ)

Manohar Singh Thakur

VS

State of Madhya Pradesh & Ors.

Date of Inspection: - 10/04/2025 & 11/04/2025

Members of the Committee: -

1- **One representative from the collector, Jabalpur (M.P.)**
2- **One representative from the Divisional Forest Officer, Jabalpur (M.P.)**
3- **One representative from the Member Secretary SPCB (M.P.)**

Joint Committee Inspection Report

O.A. 21/2025 (CZ)

INDEX

S.No.	Particulars		Page No.
1.	Joint Committee Inspection report		3-11
2.	Copy of Order of Hon'ble NGT dated 04/03/2025	Annexure-1	12-14
3.	Copy of Nomination letters concerning departments	Annexure-2	15-18
4.	Copy of Panchnama of site	Annexure-3	19-20
5.	Khasra/Khatoni of Khasra No. 183	Annexure-4	21-22
6.	Copy of GPS Photographs of Site	Annexure-5	23-26
9.	Copy of case registered against respondent no. 9 for illegal excavation on Khasra No. 144.	Annexure-6	27-48
9.	Copy of task Force Formed	Annexure-7	49

10. Proof of Service 50

BHOPAL
26.04.2025

Submitted by MPPCB:-
through Counsel

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Joint Committee Inspection Report

The Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal, through its order dated 04/03/2025 in O.A No. 21/2025 (CZ) titled *Manohar Singh Thakur Vs State of Madhya Pradesh & Others*, issued directions for the constitution of a joint committee comprising of the following members: -

(i) one representative from the Office of the Collector, Jabalpur (M.P.),

(ii) one representative from the Divisional Forest Officer, Jabalpur (M.P.), and

(iii) one representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board

The committee had been directed to carry out a site inspection and furnish a factual and action taken report within the period of six weeks. The context and key excerpts from the order dated 04/03/2025 are outlined below (complete order can be seen at **Annexure-1**)

"The issue highlighted in this application is illegal and unauthorized sand mining and its transportation is carrying out over the peace of land coming in the category of forest land. It is further submitted that it is a matter of concern that property in question bearing Khasra no 183/1 forms a part of govt. land which is declared to be a forest land, wherein a temple of "CHITTAR MATA" is constructed, is a source of villagers' religious beliefs and environmental asset, wherein respondents illegally carrying out mining activities of Murom, with heavy machines and transporting them through heavy vehicles, because of which, environmental balance of place is being deteriorate and the trees therein are being cut and destroyed due to the heavy machineries. Mining activity carried out by respondents no 8 and 9 is not backed by any sanction or license and same is illegal in totality, and whensoever any issue pertaining to same is raised before the concerned authorities of State Govt. no action has been taken by them against such illegal continuous act on part of the respondents no 8 and 9 which tends to deteriorate and hamper the well-being of environment which brings in concern the safety of citizens right to enjoyment of dust free and safe environment.

In compliance with the above directions given by the Hon'ble NGT (CZ) in O.A. 21/2025 dated 04/03/2025, the committee comprising of the following nominated members was constituted.

S.No.	Name of Department	Name of Committee Member
1.	Representative from the Divisional Forest Officer, Jabalpur (M.P.)	Shri. Pradeep Kumar Srivastava Joint D.F.O. Jabalpur
2.	Representative from the Collector, Jabalpur, M.P.	Shri R.K. Dikshit Deputy Director Mining, Jabalpur
3.	Representative from Member secretary State Pollution Control Board, (M.P.)	Shri Alok Kumar Jain Regional Officer M.P.P.C.B. Regional Office Jabalpur

Copies of the nominations received from the respective departments are attached as **Annexure-2**. As the Nodal Agency in this case, MPPCB coordinated with all concerned stakeholders and, following preliminary discussions, finalized the site visit for 10/04/2025 and 11/04/2025. The scheduled dates were communicated to all committee members and the applicant, via telephone. On 10/04/2025, during the site inspection, the officials listed below, along with the applicant/petitioner, Shri Manohar Singh and local villagers were present at the location under investigation.

i. Shri R.K. Dikshit, Deputy Director Mining, Jabalpur (M.P.)
ii. Shri Alok Kumar Jain, Regional officer, R.O. Jabalpur (M.P.)
iii. Shri Dileep Hanwat, Tehsildar, Tehsil-Patan, Jabalpur (M.P.)
iv. Shri Shivpal Chaudhary, Mining Inspector Jabalpur (M.P.)
v. Shri Ayeed Parvez, MPPCB RO Jabalpur (M.P.)
vi. Shri Jaikishan Sharma, Sub Engineer, MPPCB RO Jabalpur (M.P.)
vii. Shri D.S. Yadav, Deputy Ranger, Divisional Forest Office, Jabalpur (M.P.)
viii. Shri Rajat Kori,Patwari, PH. No 70 Gram Gwari, Patan Jabalpur (M.P.)
ix. Shri Rahul Gautam, Patwari, PH. No 67 Gram Dhaneta, Patan Jabalpur (M.P.)
x. Shri Manohar Singh Thakur, Applicant/Petitioner
xi. Shri Pushpendra Singh, Respondent No.10

During the second site visit conducted on 11/04/2025, the following officials were present at the location in question.

i. Shri Pradeep Kumar Srivastava, Joint D.F.O. Jabalpur (M.P.)
ii. Shri Alok Kumar Jain, Regional officer, RO Jabalpur (M.P.)
iii. Sushri. Vishakha Tinkhede, Ranger, Forest Range-Patan Jabalpur (M.P.)
iv. Shri Ayeed Parvez, MPPCB RO Jabalpur (M.P.)

The site Panchamas for both days of inspection are enclosed herewith as **Annexure-3**. This report is being submitted by the joint committee following the field visits conducted on 10/04/2025 and 11/04/2025, respectively. The report addresses the concerns raised by the complainant and incorporates input gathered through discussions with local stakeholders.

A. Background and specific issues in the Petition/Order: -

The issues raised in the petition, along with the subsequent judgment, have brought attention to the following key concerns: -

O.A. 21/2025 (CZ) dated 04/02/2025 & Hon'ble NGT Order Dated 04.03.2025		
S. No.	**Specific Issues Raised**	**Factual Observations**
1.	The property in question has been declared to be a protected area of the forest, of which possession is yet to be handed over by the state government to the forest department.	The committee, upon perusal of the land records made available during the inspection duly submitted by the Revenue Department and represented by the Tehsildar that Khasra No. 183/2 has been transferred to the Forest Department. However, during inspection, the Forest Department representative apprised the committee that although the said land has been administratively transferred by the Revenue Department, it has not yet been notified under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, through Gazette Notification. the representative of the forest department has informed that the Forest Department does not hold legal possession of the said land. Copy of Khasra/Khatoni of

		Khasra No. 183/2 submitted by Revenue department is attached herewith as **Annexure-4**. Furthermore, during the physical inspection, it was observed by the committee that Munnare was found present on the said parcel of land falling under Khasra No. 183/2. GPS photos are enclosed as **Annexure-5.**
2.	The applicant has mainly alleged that the problem faced by the villagers and residents of nearby locality due to illegal excavation and transportation activities carried out by respondent no 9 and 10, as they use heavy machinery to carry out mining activities which tend to deteriorate the nearby environment, habitat ants and temple therein is also affected due to illicit activities.	The committee, during site inspection, duly observed and submitted that illegal excavation activities have been carried out on land bearing Khasra No. 183/2 of Village Gwari. The area impacted by such excavation is approximately 50 meters in length, 5 meters in width, and around 1 meter in depth. Residents have contended that the excavation activities were undertaken approximately 8 to 10 years ago. For reference and documentation purposes, GPS photographs of the site in question have been attached herewith as **Annexure-5.** Additionally, it is pertinent to note that the temple referred to as “Chittar Mata” is located at a substantial distance from the site of illegal excavation. As per Google Maps, the temple lies approximately 550 meters away from the illegally excavated site; the corresponding Google maps are enclosed below.

3.	Applicant has further alleged that the property in question comprises of a temple and hill crowded with trees, same forms a part of ecological balances, but to dismay illegal mining activities on part of respondents no 9 and 10 deteriorate the same as the transport vehicles and heavy mining machineries deteriorate trees and dust blown during mining pollutes the environment nearby and sanity off temple which is eccentric epitome of religious beliefs of villagers is also hampered.	As mentioned earlier, the distance between the site of alleged illegal excavation and the temple premises is approximately 550 meters. During the site inspection, the committee observed that the area in question is a small hillock ("Choti Pahadi") located within the jurisdiction of Villages Gwari, and Dhaneta. The temple mentioned above is situated on top of this hillock, which holds deep religious significance and is revered as a symbol of shared faith and devotion by the local community. The committee also noted that the hillock is medium to densely vegetated, with a significant presence of bamboo plantations and other vegetation. Visual assessment conducted during site inspection, followed by verification through satellite imagery and Google Maps, confirms the substantial tree and vegetation cover in the said area. This natural greenery further emphasizes both the ecological value and spiritual importance of site.
4.	Applicant has alleged that the respondents no 9 and 10 are politically influential people, they tend to manipulate the legal mechanism and system and when any villagers tend to raise an issue regarding their illegal mining activities respondent no. 8 and 9 tend to hamper and harass	The Committee, within its designated role, refrains from making any comments or judgments regarding the conduct or character of Respondent Nos. 9 and 10, as the objective of the inspection were strictly limited to documenting factual observations related to the property in question. Upon thorough review, it was found that no First Information Report (FIR) has been filed, nor has any legal case been initiated concerning the disputed land. It was also noted that Respondent No. 10, Shri

	them physically and mentally because of which some criminal proceedings under SC/ST act is also pending against the respondent no.9 and 10.	Pushpendra Singh, was present during both days of the inspection. Importantly, he is a resident of the same village where the alleged illegal excavation activities were reported.
5.	Applicant has alleged that the respondents no 9 and 10 Keep the their pokrane machines and hiwaa, at a nearby warehouses and when so ever any inspection team comes, or any officer of forest comes in round they hide it and resume their illegal mining at odd hours during night, because of which there is lot of noise pollution and nuisance throughout the day, which violates the fundamental right to life with liberty of nearby habitants.	During site inspection, the Committee observed and reported that illegal excavation activities have taken place on a portion of Khasra No. 183/2, specifically situated on the lower slope of the hillock ("Pahadi"), as previously stated. However, during inspection no Pokrane, Hydra (Hiwaa) or heavy machinery as mentioned in the petition, were found at the site.

Google Map

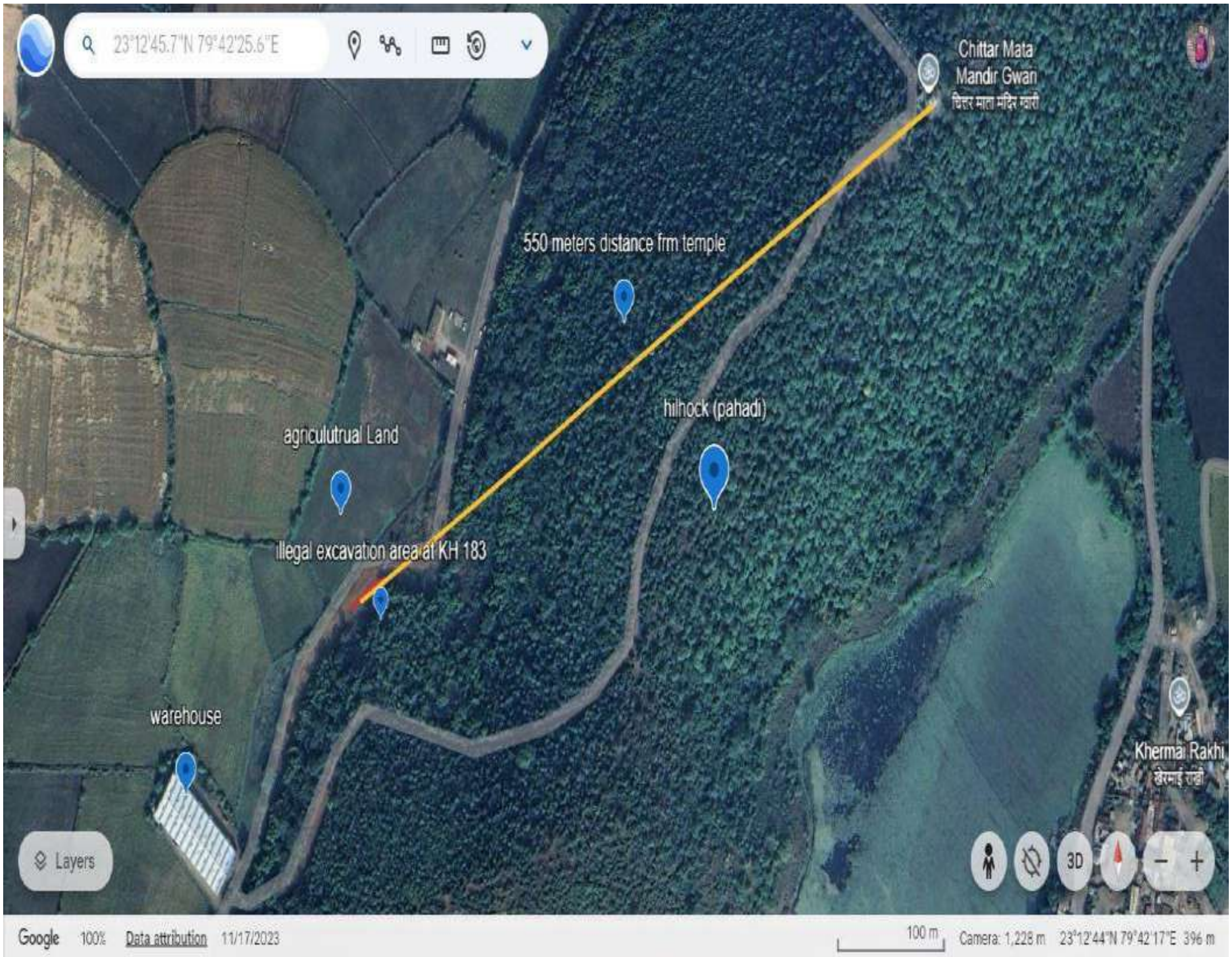

B. Conclusion: -

As noted in the above point-wise factual observations related to the petition, the act of illegal excavation stands confirmed. However, since the ownership of land in question, where the illegal excavation has taken place, remains under dispute, neither the Revenue Department nor the Forest Department has initiated any legal action against the said excavation till date.

The committee respectfully submits that, based on observations made during the site inspection, illegal excavation has indeed been confirmed at Khasra No. 183/2, as alleged in the petition, by unknown individuals. Furthermore, additional areas where unauthorized excavation has occurred were also identified, specifically within the jurisdiction of Dhaneta village, falling under Khasra Nos. 144 and 42. The committee further notes that no excavation machinery was found present at the site during the inspection. The land in question forms part of a hillock characterized by dense natural vegetation, with a notable presence of bamboo plantations.

C. <u>Action Taken: -</u>

- The Mining Department has filed a case before the District Magistrate Court, Jabalpur, against Respondent No. 9, Shri Monu Singh, in connection with illegal excavation activities carried out on Khasra No. 144, situated in Village Dhaneta. At present, the matter is pending before the Commissioner's Court, Jabalpur. Copy is enclosed as **<u>Annexure-6</u>**.

- DFO (T) Jabalpur also requested collector Jabalpur to form a Task Force of officials from Revenue, forest and police department. Subsequently, The Sub-Divisional Magistrate (SDM) of Patan, vide order dated 29.06.2020 (copy enclosed as **<u>Annexure-7</u>**), constituted a task force consisting of officials from the Revenue, Forest, and Police Departments. This task force was directed to conduct joint

surprise inspections, particularly during nighttime, with the objective of effectively curbing illegal excavation activities on Khasra Nos. 144 and 42. In direction of the above, regular patrolling of land under question is being carried out by Executive forest officials time to time & if any irregularity is found, informed the same to SDM Patan, SDO(P), TI, Tehsildar (Patan) & Senior Forest Officials.

D. Recommendations: -

Based on the site inspection conducted by the Joint Committee on 10 and 11th of April 2025, the following are the recommendations: -

i. An FIR should be registered against unidentified individuals involved in the illegal excavation activity.

ii. Demarcation of the land in question shall be carried out by the revenue department.

iii. Protective fencing should be installed around the designated area to ensure that any unauthorized or illegal activity is strictly prevented.

iv. To identify the individuals responsible for the illegal excavation, a surprise inspection drive should be conducted during nighttime by the concerned enforcement agencies in coordination with the police department.

Pradeep Kumar Srivastava Joint D.F.O (T) Jabalpur	R.K. Dikshit Deputy Director Mining, Jabalpur	Alok Kumar Jain Regional Officer M.P.P.C.B. RO Jabalpur

Item No.1

EFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No.21/2025(CZ)

Manohar Singh Thakur Applicant (s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: 04.03.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

For Applicant (s): None
For Respondent(s) :

ORDER

1. The issue highlighted in this application is illegal and unauthorised sand mining and its transportation is carrying out over the peace of land coming in the category of forest land. It is further submitted that it is a matter of concern that property in question bearing Khasra no 183 forms a part of govt land which is declared to be a forest land, wherein a temple of "CHITTAR MATA" is constructed, is a source of villagers religious beliefs and environmental asset, wherein respondents illegally carrying out mining activities of Murom, with heavy machines and transporting them through heavy vehicles, because of which, environmental balance of place is being detoriate and the trees therein are being cut and destroyed due to the heavy machineries. Mining activity carried out by respondents no 8 and 9 is

not backed by any sanction or license and same is illegal in totality, and whensoever any issue pertaining to same is raised before the concerned authorities of State Govt. no action has been taken by them against such illegal continuous act on part of the respondents no 8 and 9 which tends to detoriate and hamper the well-being of environment which brings in concern the safety of citizens right to enjoyment of dust free and safe environment.

2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

4. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

(i) One Representative from the Divisional Forest Officer, Jabalpur (M.P.)
(ii) One Representative from the Collector, Jabalpur, (M.P.)
(iii) One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)

6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an

affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.

8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **28th April, 2025.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

4th March 2025
O. A No. 21/2025(CZ)
K

Annexure 2

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल जबलपुर

फोन : +91-761-2624195 (कार्या.). Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्रमांक / नि.सहा. / 1099 जबलपुर, दिनांक 20/3/2025.

प्रति,

श्री ए.ए. मिश्रा,
(सदस्य सचिव)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,
ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच के प्रकरण क्रमांक 21 / 2025 (CZ) (मनोहर सिंह ठाकुर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल का पत्र क्रमांक / 816 / विधि / NGT(CZ)/ प्रनिबो / 2025 भोपाल, दिनांक 13.03.2025.

—::—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 21 / 2025 (CZ) (मनोहर सिंह ठाकुर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में गठित समिति हेतु वनमण्डल सामान्य जबलपुर से एक अधिकारी को सदस्य के रूप नामांकित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त निर्देशों के परिपालन में श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सामान्य जबलपुर (मोबाईल नम्बर 9424792627, 8435078190) को वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सामान्य जबलपुर की ओर से समिति के सदस्य हेतु नामांकित किया जाता है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(ऋषि मिश्र)
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल जबलपुर

पृ.क्रमांक / नि.सहा. / 1100 जबलपुर, दिनांक 20/3/2025.

प्रतिलिपि :–
1. कलेक्टर जबलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सामान्य जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर

आदेश

क्रमांक / /लीगल सेल /2025 जबलपुर दिनांक / /2025

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन **Original Application No. 21/2025 (CZ)** मनोहर सिंह ठाकुर विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में मे शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं अन्य कार्यवाही हेतु जिला खनिज अधिकारी, जिला जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अतः आप तत्काल प्रकरण से संबंधित अभिलेख सहित, स्टेंण्डिग काउसिंल, मध्यप्रदेश शासन, से सम्पर्क कर उनके परामर्श अनुसार शासन की ओर से जवाबदावा इत्यादि तैयार कराकर नियत दिनांक के पूर्व माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर शासन एवं इस कार्यालय को अवगत करावें।

कलेक्टर
जिला जबलपुर

पृ. क्रमांक / 2103 /लीगल सेल /2025 जबलपुर दिनांक 3/4/2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. श्री सचिन के. वर्मा, स्टेण्डिंग काउंसिंल, मध्यप्रदेश शासन, कार्यालय एम.आई.जी. 508, विजय स्तम्भ, जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. जिला खनिज अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला जबलपुर

3-4-25

D:\Green Tribunal Order New.doc

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 816 /विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/2025 — भोपाल,दिनांक 13 MAR 2025

प्रति

1 कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
जबलपुर ।

2 संभागीय वन अधिकारी (DFO),
वन विभाग कार्यालय,
जबलपुर ।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच के प्रकरण क्रमांक **21/2025(CZ) (मनोहर सिंह ठाकुर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य)** के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक **21/2025(CZ)** के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2025 पारित आदेश का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

The issue highlighted in this application is illegal and unauthorised sand mining and its transportation is carrying out over the peace of land coming in the category of forest land. It is further submitted that it is a matter of concern that property in question bearing Khasra no 183 forms a part of govt land which is declared to be a forest land, wherein a temple of "CHITTAR MATA" is constructed, is a source of villagers religious beliefs and environmental asset, wherein respondents illegally carrying out mining activities of Murom, with heavy machines and transporting them through heavy vehicles, because of which, environmental balance of place is being detoriate and the trees therein are being cut and destroyed due to the heavy machineries. Mining activity carried out by respondents no 8 and 9 is not backed by any sanction or license and same is illegal in totality, and whensoever any issue pertaining to same is raised before the concerned authorities of State Govt. no action has been taken by them against such illegal continuous act on part of the respondents no 8 and 9 which tends to detoriate and hamper the well-being of environment which brings in concern the safety of citizens right to enjoyment of dust free and safe environment.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

(i) One Representative from the Divisional Forest Officer, Jabalpur (M.P.)
(ii) One Representative from the Collector, Jabalpur, (M.P.)
(iii) One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)

The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : lt_mppcb@rediffmail.com

प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा सदस्य सचिव,म.प्र.प्र.नि.बोर्ड,भोपाल को समिति के गठन में नामित किया गया है । उक्त आदेशानुसार, गठित समिति को 06 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

अतः आपके कार्यालय से एक अधिकारी का नाम समिति के सदस्य हेतु नामंकित किये जाने का अनुरोध है । बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, जबलपुर को समिति का सदस्य व प्रकरण के प्रभारी अधिकारी हेतु नामित किया गया है । जिनका मोबाईल नम्बर 9425134338 है । प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 28.04.2025 को नियत है।

संलग्न :-एनजीटी आदेश ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ। आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधित से एक सप्ताह पूर्व रिपोर्ट माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

दिनांक 11/4/025
समय 3.20 PM
स्थान ग्वारी ख.नं. 183/2

मौका पंचनामा

हम पंचगण अधोहस्ताक्षर करने वाले इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 11/4/025 को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 21/2025 (CZ) के आदेश के परिपालन में मौजा जिला-जबलपुर के तहसील पाटन के अंतर्गत ग्राम ग्वारी के ख.नं. 183 (जय माँ चिन्तार माता मंदिर) में खनिज मुरुम में अवैध उत्खनन के सम्बंध में दायर याचिका की जांच हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक कुमार जैन तथा श्री आईद परवेज सहायक यंत्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव उ.व.म. अधि. जबलपुर, श्रीमती निशारवा तिरखेड़े परि. अधि. पाटन एवं श्री राजेश कु. तिवारी, उ.वन क्षेत्रपाल एवं स्टाफ के साथ मौका जांच हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौका जांच पश्चात उक्त दल द्वारा ग्राम ग्वारी ख. नं. 183/2 रकबा 13.22 हे. के पहाड़ी के निचले हिस्से (तलहटी) में मुरुम मिट्टी उत्खनन के निशान पाये गये। उत्खनन के निशान पाए गये उत्खनित क्षेत्र की लम्बाई लगभग 50 मीटर एवं चौड़ाई 05 मीटर एवं औसत ऊंचाई 01 मीटर पाई गई। वर्तमान में कोई उत्खनन कार्य नहीं हो रहा है।

पंचनामा हम लोगो के समक्ष बनाया गया पढ़कर सुनाया गया सो अपने अपने हस्ताक्षर किये जो वक्त पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया
[signature]
क्षे.र. पाटन

[signatures]

Ajeet Thakur

R.O. Patan

11/4/25

11/4/25

RA 10/4/025

स्थल पंचनामा

आज दिनांक 10/04/2025 को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल ओरिजनल एप्लीकेशन नंबर 21/2025 (CZ) के आदेश के परिपालन मे मौका जिला जबलपुर के तहसील पाटन अंतर्गत ग्राम ग्वारी के ख.नं.183 (पितलार माता मंदिर) मे खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन के संबंध मे दायर याचिका की जांच हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक कुमार जैन, खनिज विभाग से उपसंचालक खनिज श्री आर.के. दीक्षित एवं खनिज निरीक्षक श्री शिवपाल चौधरी, राजस्व विभाग से तहसीलदार पाटन श्री दिलीप हनवत व हल्का पटवारी, एवं वन विभाग से वनपाल श्री डी.एस. यादव व वनरक्षक मौका जांच हेतु मौके पर उपस्थित हुए। मौका जांच के समय याचिककर्ता श्री मनोहर सिंह ठाकुर एवं अन्य ग्राम वासी भी मौके पर उपस्थित रहे। संयुक्त दल द्वारा ग्राम ग्वारी के ख.नं. 183/2 रकवा 13.22 हे. के पहाड़ी के निचले हिस्से (तलहटी) में मुरुम मिट्टी उत्खनन के निशानात पाए गये। उत्खनित क्षेत्र की लम्बाई लगभग 50 मीटर, चौड़ाई 05 मीटर एवं औसत ऊंचाई 01 मीटर पाई गई। उक्त ख.नं. 183/2 रकवा 13.22 के खसरा के कॉलम नं.12 की कैफियत मे वनमण्डलाधिकारी जबलपुर दर्ज है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनन लगभग 8-10 वर्षों पूर्व का है। वर्तमान मे कोई उत्खनन कार्य नहीं हो रहा है।

पंचनामा मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष लिखा गया, पढ़कर सुनाया गया, तत्पश्चात हस्ताक्षर कराये गये।

अजय ठाकुर [signature]
प्रथम सिंह [signature]
[signature]. अजय तिवारी
[signature]
[signature]
[signature]
कमलेश सिंह
अमर सिंह
गौतम प्रसाद
बालकिशन मेहरा (ग्राम कोटवार ग्वारी)

① डी. एस. यादव वन विभाग [signature]
R A Pateu 10/4/2025
[signature] 10/04/25
[signature] 10/04/25
[signature]
[signature] 10/04/25
[signature] 10/04/2025
Rahul [signature] 10/04/25
[signature]

Annexure 4

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:ग्वारी			पटवारी हल्का:ग्वारी 00167			तहसील:पाटन			जिला:जबलपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1188732317 816LP5DCM514H0	183/2 (S)		13.2200 हेक्टेयर चबूतरा 0.0000 पहाड 13.2200 रु.0.00	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन पता जबलपुर मध्य प्रदेश शासकीय	1						वन मण्डलाधिकारी जबलपुर दि. 11/11/2021 को Nayab Tehsildar द्वारा भूमिस्वामी सुधार किया गया।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों मे सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-26 | दिनांक: 10-04-2025 12:06:33

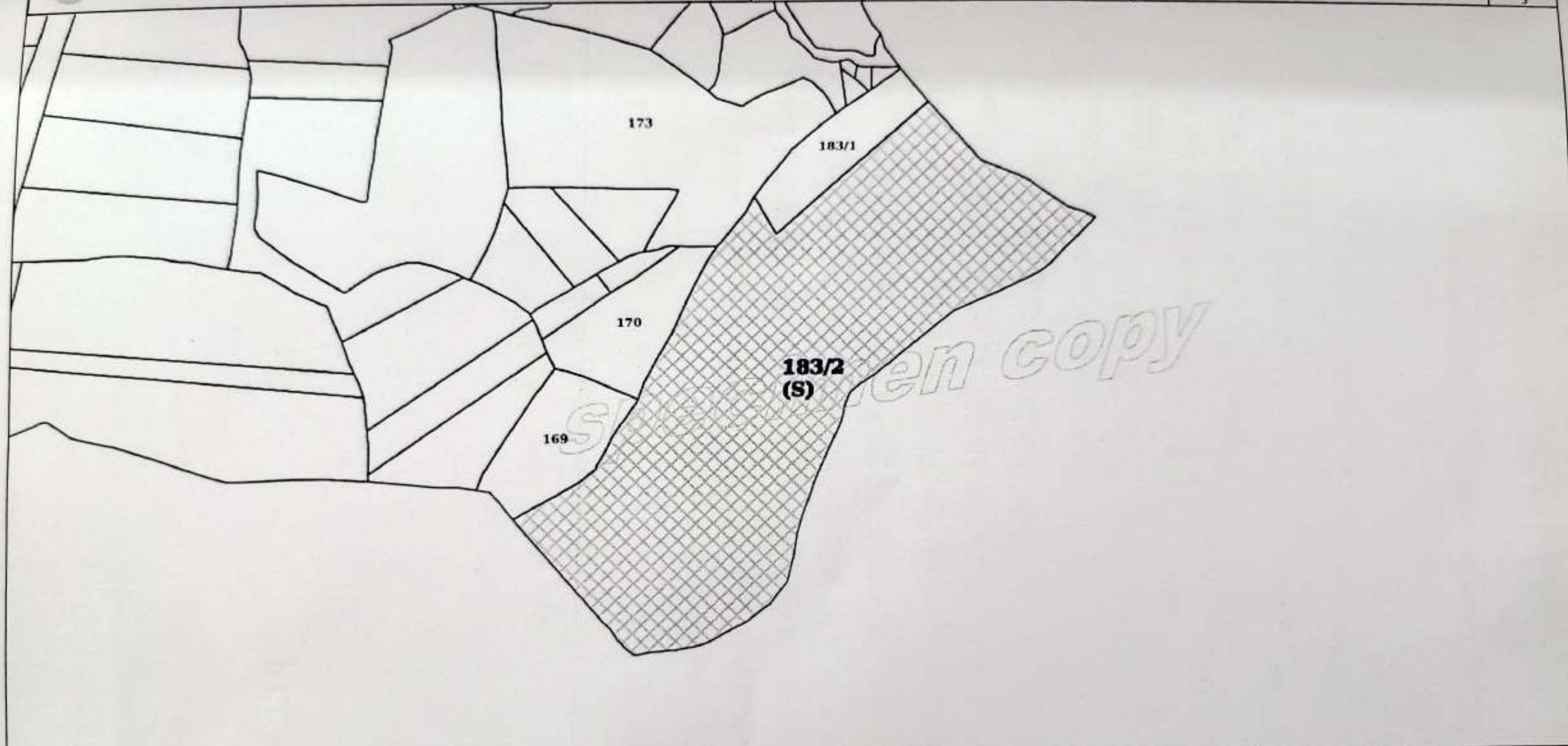

		हल्का:ग्वारी 00167	तहसील: पाटन	जिला:जबलपुर
ब्लोक सं.:	ग्राम:ग्वारी			
सर्वेक्षण सं.: 183/2(S)	क्षेत्रफल:13.2200(हेक्ट.)		भू-राजस्व:0.00	

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

भूस्वामी : (शासकीय) मध्यप्रदेश शासन मता जबलपुर मध्य प्रदेश शासकीय

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

GPS Photographs of Site Visit

Annexure-5

Dated-10/04/2025

GPS Map Camera
Gwari, Madhya Pradesh, India
Gwari, Madhya Pradesh 483119, India
Lat 23.212714° Long 79.707077°
10/04/25 04:34 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Dhaneta, Madhya Pradesh, India
Dhaneta, Madhya Pradesh 483119, India
Lat 23.208397° Long 79.704783°
10/04/25 05:03 PM GMT +05:30
Google

Annexure-5

Dated-11/04/2025

GPS Map
Camera Lite
Unnamed Road, Gwari, Madhya Pradesh 483119, India
Latitude
23.212620690464973°
Longitude
79.70691846683621°
Local 03:02:07 PM
GMT 09:32:07 AM
Altitude 376 meters
Friday, 11.04.2025

GPS Map
Camera Lite
6P86+87Q, Gwari, Madhya Pradesh 483119, India
Latitude
23.214965402148664°
Longitude
79.70869844779372°
Local 02:52:05 PM
GMT 09:22:05 AM
Altitude 376 meters
Friday, 11.04.2025

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक 842 /खनिज/ 2024–25 जबलपुर, दिनांक 24 /04/ 2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तु आवेदन Original Application No. 21/2025(CZ) मनोहर सिंह ठाकुर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तु आवेदन Original Application No. 21/2025(CZ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/03/2025 तथा कार्यालय कलेक्टर जबलपुर का आदेश क्र. 2103 दिनांक 03/04/2025.

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रकरण में खनि निरीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन अनुसार जिला जबलपुर तहसील पाटन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम– भकलिया एवं ग्राम– धनेटा की पहाड़ी में अवैध मुरूम उत्खनन संबंधी शिकायत की जांच भ्रमण दौरान खनिज अमले द्वारा समय–समय पर की जाती रही है। प्रश्नाधीन क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्र पर शिकायत प्राप्त होने पर खनिज अमले के जांच दौरान दिनांक 22/03/2023 को ग्राम धनेटा(ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के चित्तार माई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर मुरूम के अवैध उत्खनन पाये जाने पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(1),(2) के अनुसार खनिज मुरूम मात्रा 747 घ.मी. के अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा कुल शास्ति राशि 11,20,500/– अधिरोपित की गई है। ग्राम धनेटा, ग्वारी तथा भकलिया के पहाड़ी क्षेत्र की निगरानी राजस्व, वन तथा खनिज अमले द्वारा समय–समय पर की जाती है। वस्तुस्थिति की जानकारी प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 842/खनिज/ 2024–25 जबलपुर, दिनांक 24 /04/ 2025

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

//प्रतिवेदन//

प्रति,

उप संचालक
(खनि प्रशासन)
जिला– जबलपुर, (म.प्र.)

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तु आवेदन Original Application No. 21/2025(CZ) मनोहर सिंह ठाकुर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तु आवेदन Original Application No. 21/2025(CZ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/03/2025.

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि जिला जबलपुर तहसील पाटन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम– भकलिया एवं ग्राम– धनेटा की पहाड़ी में अवैध मुरूम उत्खनन संबंधी शिकायत की जांच भ्रमण दौरान खनिज अमले द्वारा समय–समय पर की जाती रही है। प्रश्नाधीन क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्र पर शिकायत प्राप्त होने पर खनिज अमले के जांच दौरान दिनांक 22/03/2023 को ग्राम धनेटा(ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के चित्तार माई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर मुरूम के अवैध उत्खनन पाये जाने पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(1),(2) के अनुसार खनिज मुरूम मात्रा 747 घ.मी. के अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा कुल शास्ति राशि 11,20,500/– अधिरोपित की गई है। ग्राम धनेटा, ग्वारी तथा भकलिया के पहाड़ी क्षेत्र की निगरानी राजस्व, वन तथा खनिज अमले द्वारा समय–समय पर की जाती है। प्रतिवेदन अवलोकनार्थ उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

17/04/25

खनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

D:\data date 19.8.19\D-Drive\bobv\bobv-latter2016-17.docx

न्यायालयीन प्रकरण/तत्काल

न्यायालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

स्मरण पत्र

क्रमांक-...297./रीडर कमिश्नर/2025 जबलपुर, दिनांक 06 /03/2025

प्रति,

कलेक्टर
जबलपुर (म०प्र०)

विषय- न्यायालयीन प्रकरण में मूल अभिलेख भेजने बाबत्।

संदर्भ- इस न्यायालय का मांग पत्र क्रमांक 967/रीडर कमि०/2024 दिनांक 30/08/2024; स्मरण पत्र क्रमांक 1080/रीडर कमि०/2024 दिनांक 20/09/2024; स्मरण पत्र क्रमांक 349/रीडर कमि०/2024 दिनांक 11/11/2024 ; स्मरण पत्र क्रमांक 967/रीडर कमि०/2024 दिनांक 30/08/2024 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 1458/रीडर कमि०/2024 दिनांक 20/12/2024 ।

-0-

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्राचार के माध्यम से इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण **क्रमांक 0106/अपील/2024-25** पक्षकार **श्री मोनू सिंह पिता कढोरी सिंह** विरूद्ध म०प्र०शासन में अवलोकन हेतु आपके न्यायालय का प्रकरण क्रमांक **24/अ-67/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2024** से संबंधित समस्त मूल अभिलेख चाहा गया था। जो बार बार स्मरण कराये जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्रश्नाधीन प्रकरण कमिश्नर महोदय के समक्ष दिनांक 02/04/2025 को नियत है। अतः नियत दिनांक के पूर्व वांछित मूल अभिलेख विशेष वाहक के हस्ते अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। ताकि लंबित प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

(कमिश्नर महोदय द्वारा आदेशित)

प्रस्तुतकार
कमिश्नर जबलपुर
संभाग

न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर

Scanned with CamScanner

1196

न्यायालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

स्मरण पत्र

क्रमांक-1080/रीडर कमिश्नर/2024 जबलपुर, दिनांक 20/09/2024

24 SEP 2024 कार्यालय कलेक्टर जबलपुर शाखा Ram O.S. Collector

प्रति,

कलेक्टर

जबलपुर (म०प्र०)

विषय- न्यायालयीन प्रकरण में मूल अभिलेख भेजने बाबत्।

संदर्भ- इस न्यायालय का मांग पत्र क्रमांक 967/रीडर कमि०/2024 जबलपुर दिनांक 30/08/2024,

-0-

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 0106/अपील/2024-25 पक्षकार मोनू सिंह पिता कढोरी सिंह विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में अवलोकन हेतु आपके न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 0024/अ-67/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2024 से संबंधित समस्त मूल अभिलेख चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्रश्नाधीन प्रकरण कमिश्नर महोदय के समक्ष दिनांक 24/09/2024 को नियत है। अतः नियत दिनांक के पूर्व वांछित मूल अभिलेख विशेष वाहक के हस्ते अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। ताकि लंबित प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

(कमिश्नर महोदय द्वारा आदेशित)

प्रस्तुतकार

कमिश्नर जबलपुर

संभाग

न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर

Scanned with CamScanner

30/5/23

फार्म -उ

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 15देखिये)

नस्ती 'अ' के लिए उपरि पत्र

नस्ती- अ

नष्ट किये जाने की तारीख 27/6/23

8/8

19/9

3-10

10-10

31-10

14/11/23

राजस्व अधिकारी का नाम: **सौरभ के. सुमन न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी**

मामला क्रमांक: **0024/अ-67/2023-24**

विषय: **अन्य: अवैध खनिज परिवहन/ उत्खनन**

65

पक्षों के नाम

आवेदक:

क्रमांक	नाम	पता	पिता /पति
1.	खनिज शाखा वि श्री मोनू सिंह	निवासी ग्राम ग्वारी तहसील पाटन जबलपुर	खनिज शाखा वि श्री मोनू सिंह

विरूद्ध

अनावेदक:

क्रमांक	नाम	पता	पिता /पति
1.	--	--	--

मौजे का नाम (यदि मामला मौजेवार हो): **पाटन**

बन्दोबस्त क्रमाँक: 100 तहसील:पाटन पटवारी हल्का क्रमाँक:00056 पाटन

अंतिम आदेश का सारांश और तारीख: 10/07/2024

अभिलेख कक्ष का क्रमाँक: 15/13-24 सन् -

कागजों की सूची

पृष्ठों की संख्या	दस्तावेजों आदि का विवरण	प्रत्येक कागज के हटाये जाने की तारीख	किस प्रकार हटाया गया	हटाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
01 से 24 - आदेश पत्रिका 01 से 60 - अन्य पत्रक कुल 84 पृष्ठ				05/12/23 19/12/2023

प्रस्तुतकार के हस्ताक्षर

मिलान किया सही पाया
अभिलेखापाल

13/02/2024

20/02/24

05/03/2024

02/04/24

Scanned with CamScanner

(1)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जबलपुर (म0प्र0)

प्र. क्र .... ~~दि. / /2023~~
अवैध उत्खनन

खनि. अधिकारी श्री प्रदीप तिवारी
सर्वेयर– विजय चक्रवर्ती

प्र.क्र. 01/2023-24 दि. 06/04/23

विषयः– ग्राम– धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर गौण खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करने बावत्।

संदर्भः– खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 05/04/2023.

प्रकरण प्रस्तुत –1

खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 05/04/2023 के अनुसार दिनांक 22/03/2023 को ग्राम– धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के चितारमाई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर अवैध मुरूम उत्खनन की जांच की गई। निरीक्षण करने पर उत्खनन कार्य करता हुआ कोई भी वाहन मशीन नहीं पाये गये, परंतु मुरूम उत्खनन के पुराने व नवीन निशानात पाये गये। उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह अवैध उत्खनन श्री मोनू सिंह निवासी– ग्राम– ग्वारी के द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा कभी–कभी दिन में तो कभी रात में पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन कर डम्फरों के द्वारा मुरूम का विक्रय किया जाता है। उपस्थित लोगों में से दो लोग श्री लल्लू सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम रिमझा तथा श्री चरण सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम– मढ़पिपरिया तह0 पाटन के द्वारा इस संबंध में अपने बयान दर्ज कराये गये। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग मंदिर में दर्शन हेतु अक्सर आते रहते हैं तभी हमारे द्वारा कई बार मुरूम का अवैध उत्खनन करवाते हुये मोनू सिंह को देखा गया है। ग्रामवासी उसके विरूद्ध बयान देने से डरते हैं।

उक्त पहाड़ी के निचले हिस्से में मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों के माप ग्रामीणों के समक्ष की गई जिसमें लगभग 10 मीटर लंबाई, औसतन 09 मीटर चौड़ाई तथा औसतन 8.3 मीटर ऊचाई का मुरूम उत्खनन के फलस्वरूप निर्मित स्थान पाया गया। इस प्रकार कुल 747.00 घ.मी. मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।

उक्त बयानकर्ता श्री लल्लू सिंह तथा श्री चरण सिंह के द्वारा दिये गये कथन एवं मौका स्थिति निरीक्षण उपरान्त अनावेदक मोनू सिंह निवासी– ग्राम– ग्वारी तह0 पाटन का उपरोक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1),(1–ए) तथा नियम मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 के तहत दण्डनीय है।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1),(2) के अनुसार अवैध उत्खनन किये गये खनिज मुरूम की मात्रा **747.00** घ.मी. की रायल्टी राशि रूपये **37350.00** की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 560250/– एवं समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 560250/– है। इस प्रकार नियम 18(3),(4) के अनुसार अवैध उत्खननकर्ता द्वारा, अधिरोपित कुल शास्ति राशि 1120500/– तथा प्रशमन शुल्क 1000/– रूपये जमा कराये जाने पर प्रकरण में प्रशमन किया जा सकता है। अन्यथा प्रशमन नहीं करने की स्थिति में नियम 18(5),(6) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अधीन प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत।

प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किये जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

(signature) 06/04/23

खनि अधिकारी महो0

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

मा. न्यायालय कले.

(signature) 12-4-23

R 25/4

E:\D-Drive\P.U.B 2021-22\Inligal mining\Notseet Send 01.04.2022.docx

Scanned with CamScanner

(3)

//प्रतिवेदन//

कलेक्टर महो.
(खनिज शाखा)
जिला जबलपुर

विषयः– ग्राम– धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर गौण खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन प्रतिवेदन विषयक।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 22/03/2023 को ग्राम– धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के चितारमाई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर अवैध मुरूम उत्खनन की जांच की गई। निरीक्षण करने पर उत्खनन कार्य करता हुआ कोई भी वाहन मशीन नहीं पाये गये, परंतु मुरूम उत्खनन के पुराने व नवीन निशानात पाये गये। उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह अवैध उत्खनन श्री मोनू सिंह निवासी– ग्राम– ग्वारी के द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा कभी–कभी दिन में तो कभी रात में पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन कर डम्फरों के द्वारा मुरूम का विक्रय किया जाता है। उपस्थित लोगों में से दो लोग श्री लल्लू सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम रिमझा तथा श्री चरण सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम– मढ़पिपरिया तह0 पाटन के द्वारा इस संबंध में अपने बयान दर्ज कराये गये। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग मंदिर में दर्शन हेतु अक्सर आते रहते हैं तभी हमारे द्वारा कई बार मुरूम का अवैध उत्खनन करवाते हुये मोनू सिंह को देखा गया है। ग्रामवासी उसके विरूद्ध बयान देने से डरते हैं।

उक्त पहाड़ी के निचले हिस्से में मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों के माप ग्रामीणों के समक्ष की गई जिसमें लगभग 10 मीटर लंबाई, औसतन 09 मीटर चौड़ाई तथा औसतन 8.3 मीटर ऊचाई का मुरूम उत्खनन के फलस्वरूप निर्मित स्थान पाया गया। इस प्रकार कुल 747.00 घ.मी. मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।

उक्त बयानकर्ता श्री लल्लू सिंह तथा श्री चरण सिंह के द्वारा दिये गये कथन एवं मौका स्थिति निरीक्षण उपरान्त अनावेदक मोनू सिंह निवासी– ग्राम– ग्वारी तह0 पाटन का उपरोक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1),(1–ए) तथा नियम मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 के तहत दण्डनीय है।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1),(2) के अनुसार अवैध उत्खनन किये गये खनिज मुरूम की मात्रा **747.00** घ.मी. की रायल्टी राशि रूपये **37350.00** की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 560250/– एवं समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 560250/– है। इस प्रकार नियम 18(3),(4) के अनुसार अवैध उत्खननकर्ता द्वारा, अधिरोपित कुल शास्ति राशि 1120500/– तथा प्रशमन शुल्क 1000/– रूपये जमा कराये जाने पर प्रकरण में प्रशमन किया जा सकता है। अन्यथा प्रशमन नहीं करने की स्थिति में नियम 18(5),(6) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अधीन प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन संप्रेषित है।

संलग्नः 1. पंचनामा
2. कथन

05/04/2023

खनि निरीक्षक
जिला जबलपुर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

(5)

मौका पंचनामा

हम पंचगण नीचे दस्तखत करने वाले आज दिनांक 22/03/23 को यह तस्दीक करते हैं कि खनि अधिकारी महोदय के आदेश के पालन में मुरम अवैध उत्खनन की शिकायत जाँच हेतु खनिज विभाग का दल ग्राम ग्वारी तथा धनेटा में स्थित चितारमाई मंदिर की पहाड़ी के निचले हिस्से में उपस्थित हुआ। पहाड़ी के आसपास भ्रमण करने पर मुरम उत्खनन के निशान स्पष्ट पाये गए। उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पाया गया कि यहाँ मुरम का अवैध उत्खनन दिन व रात में किया जाता है। उत्खनन कर्ता का नाम पूछने पर मोनू सिंह निवासी ग्वारी का नाम सामने आया। उपस्थित लोगों में से दो लोग श्री लल्लू सिंह ठाकुर निवासी ग्राम रिमझा तथा श्री चरन सिंह ठाकुर निवासी मढ़ पिपरिया बड़ पाटन के द्वारा अपने बयान दर्ज कराए गए। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने कई बार मुरम का अवैध उत्खनन होते हुए देखा है यह कार्य मोनू सिंह द्वारा किया जाता है। इस मुरम को वह बाजार में डम्परों के माध्यम से बेचता है और शासन को कोई रायल्टी नहीं देता। वे अक्सर इस मंदिर में आया करते हैं। मौका भ्रमण करने पर मुरम उत्खनन के कुछ पुराने तथा कुछ ताजे निशानात पाये गए। ताजे निशानों की माप करने पर लगभग 10 मीटर लंबाई, औसतन 9 मीटर चौड़ाई व 8.3 मी. ऊँचाई का ख.क्र. 144 (MP किसान APP अनुसार) में उत्खनन पाया गया। मौके पर कोई वाहन, मशीन व्यक्ति उत्खनन करता हुआ नहीं मिला।

पंचनामा पढ़ा गया तथा सही होने पर दस्तखत किये गए।

[signature] MI. 22/03/23

लल्लू

चरन सिंह

अभिषेक तिवारी (सिपाही)

493 [signature]

1587 [signature]

Scanned with CamScanner

कथन

(7)

नाम - लल्लू सिंह ठाकुर
पिता - श्री लटई सिंह
उम्र - 57 वर्ष
पता - ग्राम रिमझा, तह. पाटन, जबलपुर
मो. - —

मैं आज दिनांक 22/03/23 को मौका स्थल ग्वारी, धनेटा पहाड़ी के पास उपस्थित होकर सत्य सत्य कथन करता हूँ कि मैं धनेटा पहाड़ी स्थित मंदिर (चिनारमाई मंदिर) के दर्शन हेतु प्राय: आता रहता हूँ। यहाँ पहाड़ी के पास नीचे की ओर मुरम का चोरी से उत्खनन किया जाता है। यह उत्खनन कार्य यहीं के ग्राम ग्वारी में निवास करने वाले मोनू सिंह द्वारा किया जाता है। वह अपनी मशीन व डम्फर लगवाकर मुरम खोदकर बेचा करता है। आज भी सुबह के समय उसके द्वारा मुरम को खोदा गया है। यहाँ के ग्रामीण निवासी उससे डरते हैं इसी कारण कोई बयान देने सामने नहीं आता।

उक्त कथन मैंने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के दिया।

लल्लू

उक्त कथन मेरे समक्ष दर्ज किये गए।

[signature]
22/03/2023

Scanned with CamScanner

कथन

नाम - चरन सिंह ठाकुर
पिता - श्री प्रताप सिंह
उम्र - 36 वर्ष
पता - ग्राम भढ़ पिपरिया, तह. पाटन
मो.. 7748018715

मैं आज दिनांक 22/03/23 को मौका स्थल ग्वारी, घनेटा में उपस्थित होकर सत्य सत्य कथन करता हूँ कि मैं घनेटा पहाड़ी पर स्थित चितारमाई के मंदिर में दर्शन हेतु प्राय: आता जाता रहता हूँ। यहाँ पहाड़ी के पास नीचे की ओर अवैध रूप से मुरम का उत्खनन कर बेचा जाता है, यह अवैध उत्खनन का कार्य मोनू सिंह निवासी ग्वारी के द्वारा पोकलेन मशीन लगाकर किया जाता है। आज भी सुबह के समय मुरम का उत्खनन किया गया है। उसके द्वारा अक्सर प्रतिदिन डम्फरों से मुरम उत्खनन कर अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। गाँव वाले डर के कारण गवाही नहीं देते।

उक्त कथन मैंने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के दिये।

चरन सिंह

उक्त कथन मेरे समक्ष दर्ज किये गए।

Scanned with CamScanner

(11)

प्र०क्र० 24/अ-67/2023-24

न्यायालय कलेक्टर जिला– जबलपुर (म०प्र०)

क्रमॉक/3473/आर.डी.एम./अवैध उत्खनन/2023–24 जबलपुर, दिनांक 14/6/2023

//सूचना पत्र//

प्रति,

श्री मोनू सिंह (अवैध उत्खननकर्ता)
निवासी– ग्राम– ग्वारी तह0 पाटन
जिला– जबलपुर, (म.प्र.)

विषयः– ग्राम– धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर गौण खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करने बावत्।

संदर्भः खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 05/04/2023।

खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 05/04/2023 अनुसार दिनांक 22/03/2023 को ग्राम– धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के चितारमाई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर अवैध मुरूम उत्खनन की जांच की गई। निरीक्षण करने पर उत्खनन कार्य करता हुआ कोई भी वाहन मशीन नहीं पाये गये, परंतु मुरूम उत्खनन के पुराने व नवीन निशानात पाये गये। उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह अवैध उत्खनन श्री मोनू सिंह निवासी– ग्राम– ग्वारी के द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा कभी–कभी दिन में तो कभी रात में पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन कर डम्फरों के द्वारा मुरूम का विक्रय किया जाता है। उपस्थित लोगों में से दो लोग श्री लल्लू सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम रिमझा तथा श्री चरण सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम– मढ़पिपरिया तह0 पाटन के द्वारा इस संबंध में अपने बयान दर्ज कराये गये। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग मंदिर में दर्शन हेतु अक्सर आते रहते हैं तभी हमारे द्वारा कई बार मुरूम का अवैध उत्खनन करवाते हुये मोनू सिंह को देखा गया है। ग्रामवासी उसके विरूद्ध बयांन देने से डरते हैं।

उक्त पहाड़ी के निचले हिस्से में मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों के माप ग्रामीणों के समक्ष की गई जिसमें लगभग 10 मीटर लंबाई, औसतन 09 मीटर चौड़ाई तथा औसतन 8.3 मीटर ऊचाई का मुरूम उत्खनन के फलस्वरूप निर्मित स्थान पाया गया। इस प्रकार कुल 747.00 घ.मी. मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।

उक्त बयानकर्ता श्री लल्लू सिंह तथा श्री चरण सिंह के द्वारा दिये गये कथन एवं मौका स्थिति निरीक्षण उपरान्त अनावेदक मोनू सिंह निवासी– ग्राम– ग्वारी तह0 पाटन का उपरोक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1),(1–ए) तथा नियम मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 के तहत दण्डनीय है।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1),(2) के अनुसार अवैध उत्खनन किये गये खनिज मुरूम की मात्रा **747.00** घ.मी. की रायल्टी राशि रूपये **37350.00** की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 560250/– एवं समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 560250/– है। इस प्रकार नियम ~~18(3),(4)~~ के अनुसार अवैध उत्खननकर्ता द्वारा, अधिरोपित कुल शास्ति राशि 1120500/– तथा प्रशमन शुल्क 1000/– रूपये जमा कराये जाने पर प्रकरण में प्रशमन किया जा सकता है। अन्यथा प्रशमन नहीं करने की स्थिति में नियम 18(5),(6) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अधीन प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत।

नियत अवधि में राशि जमा नहीं करने/समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पेशी दिनांकः 27/06/2023

कलेक्टर
जिला– जबलपुर (म.प्र)

पृ. क्रमॉक/3473/आर.डी.एम./अवैध उत्खनन/2023–24 जबलपुर, दिनांक 14/6/2023

प्रतिलिपि–

1. माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला– जबलपुर (म.प्र)

The Court of Collector & District Magistrate

रा०क० प्रतिप्राप्त
14/6/23

a/c

E:\D-Drive\P.U.B\2021-22\Inligal mining\Notish- sch 01.04.2023.docx

Scanned with CamScanner

<u>समक्ष न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर जिला जबलपुर</u>

प्रकरण कमांक–3473/आरडीएम/अवैध उत्खनन/2023

<u>आवेदकः–</u> खनिज निरीक्षक

<u>विरुद्ध</u>

<u>अनावेदकः–</u> मोनू सिंह

<u>सूचना पत्र दिनांक 14.06.2023 का जवाब</u>

अनावेदक माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न जवाब प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि, खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 22.03.2023 को ग्राम धनैटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के चितारमाई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से खसरा नं.144 शासकीय भूमि के अंश भाग पर अवैध मुरुम उत्खनन की जांच की गई थी। खनिज अधिकारी द्वारा वहां उपस्थित लल्लू सिंह एवं चरण सिंह के कथन लिये थे जिसके आधार पर खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह आरोप लगाया है कि अनावेदक द्वारा अवैध रुप से मुरुम उत्खनन का कार्य किया गया है जबकि सत्यता यह है कि अनावेदक द्वारा कभी भी अवैध रुप से मुरुम उत्खनन नहीं किया है।

2. यह कि, अनावेदक ग्राम ग्वारी का सम्मानीय नागरिक है वह कृषि कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है।

3. यह कि, खनिज अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2023 को उपरोक्त भूमि का निरीक्षण किया गया था तो वहां पर राखी गांव में एवं धनेटा तथा ग्वारी में किसी भी आम नागरिक या ग्राम कोटवार को नहीं बुलाया गया और न ही उनके कथन लिये, जबकि खनिज अधिकारी चाहते तो ग्राम पंचायत के सरपंच को या पंचों को या ग्राम कोटवार को मौके पर बुलाकर पंचनामा तैयार करते जो खनिज अधिकारी ने ऐसा नहीं किया

Scanned with CamScanner

है और मात्र अन्यंत्र गांव के दो साक्षियों के झूठे कथनों के आधार पर खनिज निरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झूठा प्रतिवेदन अनावेदक के विरुद्ध पेश किया गया है।

4. यह कि, प्रतिवेदन में साक्षी लल्लू सिंह के कथन लिये गये है वह ग्राम रिमझा का रहने वाला है और रिमझा गांव घटना स्थल से करीब 15 किलो मीटर दूर है। घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति अपने आप में संदेहास्पद लगती है यदि खनिज निरीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया होता तो ग्राम राखी, ग्राम ग्वारी या ग्राम धनैटा के ग्राम कोटवार को घटना स्थल पर आवश्य बुलाया होता।

5. यह कि, खनिज निरीक्षक द्वारा जो साक्षी चरण सिंह निवासी–मढ़ पिपरिया के कथन लिये है वह साक्षी भी घटना स्थल से करीब 15–20 किलो मीटर दूर रहता है एवं आपराधिक पृवत्ति का व्यक्ति है उसके विरुद्ध पुलिस थाना पाटन एवं जबलपुर जिले के अन्य थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। वह लोगों को झूठे प्रकरण में फंसाकर ब्लेक मेल करता है।

6. यह कि, प्रकरण में खनिज निरीक्षक ने जिन साक्षियों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह दोनों साक्षी अनावेदक से चुनावी रंजिश रखते है क्योंकि जनपद पंचायत के चुनाव में अनावेदक की धर्म पत्नी चुनाव में प्रत्याशी थी और चुनाव जीती थी। वर्तमान में अनावेदक की श्रीमती जनपद सदस्य है एवं अनावेदक स्वयं में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष के दायित्व पर है इसलिये दोनों साक्षी अनावेदक से रंजिश रखते है और इसी रजिश के कारण खनिज निरीक्षक से मिलकर अनावेदक के विरुद्ध झूठे कथन किये है।

7. यह कि, आज के समय सभी लोगों के पास आधुनिक मोबाईल

Scanned with CamScanner

रहते है और उपरोक्त प्रकरण में जो दोनों साक्षियों के कथन लिये है उनके पास थी एनरायड मोबाईल है। यदि साक्षियों ने घटना स्थल पर मुरुम का अवैध उत्खनन होते देखा होता तो उसकी वीडियों रिकार्डिंग जरुर करते लेकिन किसी साक्षियों ने अवैध उत्खनन की वीडियों रिकार्डिंग नहीं की। साक्षी चरण सिंह की कई गांव में दहशत है और वह लोगों को झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर ब्लेकमेल करता है। अनावेदक से भी साक्षी चरण सिंह ने रुपयों की मांग की और नहीं देने पर अनावेदक के विरुद्ध झूठे कथन दिये है।

8. यह कि, ग्राम ग्वारी में पांच मोनू सिंह निवास करते है, खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथन में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन मोनू सिंह द्वारा मुरुम का अवैध उत्खनन किया गया है।

9. यह कि, खनिज निरीक्षक द्वारा मात्र दो साक्षियों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है, सत्यता यह है कि अनावेदक ने किसी भी प्रकार का मुरुम का कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है ।

10. यह कि, जवाब के साथ अनावेदक का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि खनिज निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त किये जाने की कृपा करें।

जबलपुर

दिनांकः—08.08.2023 अनावेदक

अधिवक्ता वास्ते—अनावेदक

Scanned with CamScanner

(31)

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)
रा0प्र0क्र0 0024/अ–67/23–24
शपथ पूर्वक कथन दिनॉक 19/09/2023

अभियोजन साक्ष्य के कथन

नाम – श्री राकेश देशमुख पिता– श्री पवन कुमार देशमुख उम्र – 43 वर्ष,

पदनाम – खनि निरीक्षक।

कार्यालय – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला जबलपुर।

खनि अधिकारी महोदय को ग्राम धनेटा तथा ग्वारी तहसील पाटन में मुरूम के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खनि अधिकारी के निर्देश के पालन में खनिज विभाग के दल के साथ मेरे द्वारा शिकायती स्थल का दिनांक 22/03/2023 को मौका–निरीक्षण किया गया, निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त ग्राम के चितारमाई मंदिर की पहाडी के निचले हिस्से खसरा कमांक 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर मुरूम उत्खनन के ताजे निशान पाये गये। मौके पर कोई भी वाहन मशीन उत्खनन करते हुए नही पाये गये। उपस्थित ग्रामीण एवं मंदिर दर्शनाथियों से पूछतांछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यहां पर मोनू सिंह निवासी ग्राम ग्वारी के द्वारा दिन में एवं कभी–कभी रात में भी पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन किया जाता है, और निकली हुई मुरूम को डंफरों के द्वारा भरकर बेचा जाता है। उपस्थित लोगो में से श्री लल्लू सिंह ठाकुर पुत्र लटई सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम रिमझा तहसील पाटन तथा श्री चरन सिंह ठाकुर पुत्र श्री प्रताप सिंह उम्र 36 वर्ष ग्राम मढपिपरिया तहसील पाटन द्वारा कथन दिये गये कि वे यहां मंदिर में दर्शन हेतु प्रायः आते–जाते रहते है, उन्होंने बताया कि यहां ग्वारी निवासी मोनू ठाकुर के द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन कर विक्रय किया जाता है और शासन को कोई रायल्टी दी जाती है। उनके द्वारा कई बार स्वयं अवैध उत्खनन होते हुए देखा गया है। आज भी सुबह के समय मोनू ठाकुर द्वारा मुरूम खोदी गयी है जिसके ताजे निशान पहाडी के निचले हिस्से में देखे जा सकते हैं। यहां के निवासी ग्रामीणजन मोनू ठाकुर से डरते है इसीलिए कोई भी उसके विरूद्ध बयान नहीं देना चाहता। उक्त दोनो व्यक्तियों के कथन दर्ज किये गये, अन्य उपस्थित ग्रामीणों से मौके पंचनामें पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया तो उन्होनें यह कह कर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि हम मोनू ठाकुर से डरते है, और हम कहीं दस्तखत नहीं करेंगे। मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों की माप करने पर लगभग 747 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन होना पाया गया, अतः आरोपी मोनू ठाकुर निवासी ग्वारी के विरूद्ध कुल 11,20,500/– रू. शास्ति आरोपित कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। यही मेरे कथन है।

पढ़कर देखा।
सही पाया।............................
19/09/23

मेरे समक्ष कथन अंकित किए गए

कलेक्टर
जिला जबलपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

D:\Statment & Bayaan 25-9-13 [3].doc

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)

रा0प्र0क्र0 0024/अ-67/2023-24

शपथ पूर्वक कथन दिनॉक 31/10/2023

अभियोजन साक्षी के कथन

नाम – **चरण सिंह** पिता प्रताप सिंह उम्र 36 साल

निवासी ग्राम मढपिपरिया तहसील पाटन जिला जबलपुर। मो.नं. 7748018715

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि दि. 22/03/2023 को ग्राम धनेटा ग्वारी तहसील पाटन जिला जबलपुर के चितारमाई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से ख.नं. 144 शासकीय भूमि के अंशभाग पर अवैध मुरूम उत्खनन की जांच के समय मैं घटना स्थल पर उपस्थित था। मैं हफ्ते एक-दो बार मंदिर जाता हूँ, जांच दल द्वारा मुझे मौका पंचनामा में मेरे हस्ताक्षर कराये गये है, जो मेरे ही हस्ताक्षर है, मैं मंदिर में अक्सर दर्शन हेतु जाता रहता हूँ, कई बार मेरे द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन करवाते हुये मोनू सिंह पिता कढ़ोरी सिंह निवासी ग्वारी थाना पाटन जिला जबलपुर को देखा गया है, ग्रामवासी उनके विरूद्ध बयान देने से डरते है। पहाड़ी के निचले हिस्से में भ्रमण करने पर पहाड़ी धनेटा से ग्वारी की ओर चितारमाई के मंदिर के रास्ते पर मुरूम के अवैध उत्खनन के निशान स्पष्ट पाये गये थे, मुरूम का अवैध उत्खनन दिन एवं रात में किया जाता है, उत्खनन कर्ता का नाम मोनू सिंह निवासी ग्वारी है, उक्त मुरूम को मोनू सिंह द्वारा डम्फरों के माध्यम से विक्रय किया जाता है, परंतु शासन को कोई रायल्टी नहीं दी जा रही है, मोनू सिंह से सब लोग डरते है, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों में बड़ा गहरा एवं लंबा गडढ़ा है, ख.नं. मुझे याद नहीं है, कुल उत्खनित मात्रा की जानकारी मुझे नहीं है, खनिज अधिकारी एवं खनि निरीक्षक गडढे का माप किया जा रहा था, उक्त का जुर्माना अनावेदक मोनू सिंह पिता कढ़ोरी सिंह निवासी ग्वारी थाना पाटन जिला जबलपुर से वसूल किया जाना चाहिए।

पढ़कर देखा,

सही पाया।.......चरन सिंह.......

कथन कर्ता द्वारा स्वीकार किया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जबलपुर (म.प्र.)

E:\DM\Statment & Bayaan 25-9-13.doc

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)
रा0प्र0क्र0 0024/अ–67/2023–24

शपथ पूर्वक कथन दिनॉक 31/10/2023

अभियोजन साक्षी के कथन

नाम – **चरण सिंह** पिता प्रताप सिंह उम्र 36 साल
निवासी ग्राम मढपिपरिया तहसील पाटन जिला जबलपुर। मो.नं. 7748018715
प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दयाराम रजक अधिवक्ता द्वारा –

1. यह कहना सही है कि मैं ग्राम मढपिपरिया में रहता हूँ और मढपिपरिया खदान से 10 कि.मी. दूर है।
2. मैं हफ्ते एक दिन किसी भी दिन मंदिर चला जाता हूँ। वहां मंदिर में 1 से 2 घंटे रूकता हूँ।
3. यह कहना सही है कि मैं जो फोन चलाता हूँ वह टचस्क्रीन वाला स्मार्टफोन है। यह कहना सही है कि मैं अपना मोबाइल लेकर मंदिर जाता हूँ।
4. यह कहना सही है कि मैंने अवैध उत्खनन होते हुये कभी कोई फोटो नहीं खींची।
5. पारिवारिक विवाद के कारण दो बार मैं जेल जा चुका हूँ।
6. यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध मुकेश पिता रेवा प्रसाद की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध 2016 में राहुल की रिपोर्ट पर भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अप.क्र. 173/16 है। यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध 2017 में जवाहर सिंह की रिपोर्ट पर भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अप.क्र. 67/17 है। यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध 2017 में कीरत सिंह की रिपोर्ट पर भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अप. क्र. 167/17 है। यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध 2018 में राम सिंह की रिपोर्ट पर भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अप.क्र. 341/18 है। यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध 2019 में राजेन्द्र लोधी की रिपोर्ट पर भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अप.क्र. 90/19 है। यह कहना सही है कि पुलिस थाना पाटन ने मेरे विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसका अप.क्र. 144/19 है। यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध 2021 में कीरत सिंह की रिपोर्ट पर भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अप.क्र. 778/21 है।
7. यह कहना सही है कि मौका पंचनामा में मोनू सिंह बस लिखा है उसके पिता का नाम नहीं लिखा है।

चरन सिंह

E:\DM\Statment & Bayaan 25-9-13.doc

-..1332..-

Scanned with CamScanner

(37)

8. यह कहना भी सही है कि खनिज अधिकारियों ने जब मेरे कथन लिये थे उस समय भी मैंने मोनू सिंह बताया था, मोनू सिंह की वल्दीयत नहीं बताई थी।
9. यह कहना भी सही है कि उपरोक्त कथन में जबलपुर में आकर खनिज अधिकारी के यहां आकर दिये थे, यह कहना भी सही है कि मौका पंचनामा में मैंने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में दस्तखत किये थे।
10. यह कहना सही है कि मोनू सिंह की पत्नी चुनाव में खडी थी और यह कहना भी सही है कि मोनू सिंह की पत्नी चुनाव जीती भी है।
11. मुझे यह मालूम नहीं है कि मोनू सिंह की पत्नी के विरोध में जनपद सदस्य के चुनाव में कौन खडा था।
12. यह कहना सही है कि खदान ग्वारी और धनेटा के बीच में है, धनेटा से रास्ता एवं ग्वारी से भी रास्ता गई है।
13. यह कहना सही है कि मैंने वहां के ग्राम कोटवार पटवारी व सरपंच से नहीं बताया क्योंकि वहां सब उनसे डरते है। स्वतः कहा कि उनने मर्डर किया था, इसलिये सब डरते है।
14. प्रश्न– मैं दो घंट वहां रहता हूॅ इसके बाद में अपने घर आ जाता हूॅ इस बीच में वहां क्या होता है वहां क्या नहीं होता है, इसकी आपको जानकारी है।
15. उत्तर –मोनू सिंह डम्फर चलते है, हमने उनको देखा है।
16. यह कहना सही है कि जब मैं घर में रहता हूॅ तब वहां क्या होता है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।
17. यह कहना सही है मैंने जो भी डम्फर वहां खडे थे, उनका नंबर नहीं देखा है।
18. यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूॅ मोनू सिंह ने कभी कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है।
19. यह कहना सही है कि मोनू के अलावा वहां ग्वारी में अन्य लोगों के भी डम्फर है।
20. यह कहना गलत है कि मोनू ने अवैध उत्खनन नहीं किया है।
21. मैं यह नहीं बता सकता कि उपरोक्त खदान की मुरूम वेयरहाउस एवं रोड बनाने के लिये भी कोई ठेकेदार नहीं ले जाते है।

पढ़कर देखा,
सही पाया।............चरन सिंह............

कथन कर्ता द्वारा स्वीकार किया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

E:\DM\Statment & Bayaan 25-9-13.doc

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)

रा0प्र0क्र0 0024/अ–67/2023–24

शपथ पूर्वक कथन दिनॉक 31/10/2023

अभियोजन साक्षी के कथन

नाम – **लल्लू सिंह** पिता लटोरी सिंह उम्र 60 साल

निवासी ग्राम रिमझां तहसील पाटन जिला जबलपुर।

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि दि. 22/03/2023 को ग्राम धनेटा ग्वारी तहसील पाटन जिला जबलपुर के चितारमाई मंदिर पहाड़ी के निचले हिस्से ख.नं. 144 शासकीय भूमि के अंशभाग पर अवैध मुरूम उत्खनन की जांच के समय मैं घटना स्थल पर उपस्थित था। मैं मंदिर की ओर जा रहा था, जांच दल द्वारा मुझे मौका पंचनामा में मेरे हस्ताक्षर कराये गये है, जो मेरे ही हस्ताक्षर है, मैं मंदिर में अक्सर दर्शन हेतु जाता रहता हॅू, कई बार मेरे द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन करवाते हुये मोनू सिंह पिता कढ़ोरी सिंह निवासी ग्वारी थाना पाटन जिला जबलपुर को देखा गया है, ग्रामवासी उनके विरूद्ध बयान देने से डरते है। पहाड़ी के निचले हिस्से में भ्रमण करने पर मुरूम के अवैध उत्खनन के निशान स्पष्ट पाये गये थे, मुरूम का अवैध उत्खनन दिन एवं रात में किया जाता है, उत्खनन कर्ता का नाम मोनू सिंह निवासी ग्वारी है, उक्त मुरूम को मोनू सिंह द्वारा डम्फरों के माध्यम से विक्रय किया जाता है, परंतु शासन को कोई रायल्टी नहीं दी जा रही है, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों की माप करने पर लगभग 10 मीटर लंबाई औसतन 9 मीटर चौड़ाई एवं 8.3 मीटर ऊंचाई का ख.नं. 144 में उत्खनन किया जाना पाया गया था, वर्तमान में खनिज 747 घ.मी. मुरूम का प्रकरण बनाया गया है, जो सही एवं उचित है, उक्त का जुर्माना अनावेदक मोनू सिंह पिता कढ़ोरी सिंह निवासी ग्वारी थाना पाटन जिला जबलपुर से वसूल किया जाना चाहिए।

पढ़कर देखा,

सही पाया।..

कथन कर्ता द्वारा स्वीकार किया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जबलपुर (म.प्र.)

E:\DM\Statment & Bayaan 25-9-13.doc

-..1326..-

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)

रा0प्र0क्र0 0024 / अ-67 / 2023-24

शपथ पूर्वक कथन दिनॉक 31 / 10 / 2023

अभियोजन साक्षी के कथन

नाम – **लल्लू सिंह** पिता लटोरी सिंह उम्र 60 साल
निवासी ग्राम रिमझां तहसील पाटन जिला जबलपुर।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दयाराम रजक अधिवक्ता द्वारा –

1. यह कहना सही है कि मैं ग्राम रिमझा में रहता हूँ और ग्राम रिमझा ग्वारी से 10 कि.मी. दूर है।
2. यह कहना सही है कि मोनू पाटन में रहते है, यह कहना गलत है कि मैंने खदान पर नहीं देखा, स्वतः कहा कि देखा है।
3. यह कहना सही है कि मोनू सिंह भारतीय जनता पार्टी के है और भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष है।
4. यह कहना गलत है कि उपरोक्त जांच का आवेदन मनोहर सिंह ने दिया था, स्वतः कहा कि मैंने दिया था।
5. यह कहना सही है कि मैंने खदान पर डम्फरों की या मुरूम खोदने की फोटो नहीं खींची है, स्वतः कहा कि मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ।
6. यह कहना सही है कि मुझे नहीं पता था कि यह डम्फर मोनू के है, मुझे मंदिर के पुजारी ने बताया था कि यह डम्फर मोनू सिंह के है।
7. मैंने अपने खनिज अधिकारी को दिये हुये बयानों में यह नहीं बताया था कि मुझे मंदिर के पुजारी ने बताया था कि यह मोनू सिंह के डम्फर है।
8. यह कहना भी सही है कि आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, कि मुझे मंदिर के पुजारी ने बताया था कि यह डम्फर मोनू सिंह के है।
9. आज मैं तारीख नहीं बता सकती हूँ लेकिन आज दिनांक से तीन महीने पूर्व मैं चितारमाता मंदिर गया था।
10. लेकिन मुझे समय याद है कि मैं दिन के 3 बजे गया था।
11. यह कहना सही है कि मैंने किसी भी गाडी का कोई नंबर नहीं देखा।
12. मैंने निकाले हुये मुरूम की लंबाई नापी नहीं है अंदाज से बता रहा हूँ।
13. यह कहना सही है कि मैंने मोनू सिंह से कभी बात नहीं की। स्वतः कहा कि वे सिर्फ शनिवार को जाता हूँ।

E:\DM\Statment & Bayaan 25-9-13.doc -..1329..-

Scanned with CamScanner

43

14. यह कहना सही है कि मैंने न तो ग्राम कोटवार से न तो सरपंच से इस बारे में कोई शिकायत नहीं की।

15. यह कहना सही है कि अभी वर्तमान ग्राम पंचायत चुनाव में मोनू सिंह की पत्नी जनपद सदस्य के लिये प्रत्याशी थी और जीती भी है।

16. यह कहना सही है कि मोनू सिंह की पत्नी चुनाव में मनोहर सिंह के परिवार के विरोध में खडी थी, यह कहना भी सही है कि मनोहर सिंह के परिवार की महिला चुनाव हार गई।

17. मैं यह नहीं बता सकता कि मोनू सिंह और मनोहर सिंह के परिवार की बुराई चलती है और इसी कारणवश उन्होंने झूठा आवेदन दिया था।

18. यह कहना गलत है कि मोनू सिंह ने कभी भी अवैध उत्खनन नहीं किया है मैं मोनू सिंह के विरूद्ध झूठा बयान दे रहा हूॅ।

19. जब मेरे कथन लिये गये थे तो सिर्फ मैं एवं चरण सिंह बस थे और कोई नहीं था।

20. यह कहना सही है कि मैंने खनिज अधिकारी को उपरोक्त कथन जबलपुर में दिये थे, ग्वारी में कोई कथन नहीं दिये है।

21. यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय के समक्ष बुराई एवं रंजिश के कारण झूठे बयान दे रहा हूॅ।

पढ़कर देखा,
सही पाया।..

कथन कर्ता द्वारा स्वीकार किया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर जबलपुर

प्रकरण क्रमांक 0024/अ-67/2023-24

आवेदक म.प्र. शासन द्वारा जिला खनिज अधिकारी, खनि प्रशासन जबलपुर।

विरुद्ध

अनावेदक श्री मोनू सिंह (अवैध उत्खननकर्ता) निवासी ग्राम ग्वारी तहसील पाटन जिला जबलपुर।

।। आदेश ।।

(पारित दिनांक 10/07/2024)

1. यह प्रकरण जिला खनि अधिकारी जबलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है, जो निम्नानुसार उद्धरित है :-

विषय- ग्राम- धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर गौण खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करने बावत्।

संदर्भ- खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 05/04/2023.

प्रकरण प्रस्तुत -1

खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 05/04/2023 के अनुसार दिनांक
22/03/2023 को ग्राम- धनेटा (ग्वारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के घितारमाई मंदिर पहाड़ी
के निचले हिस्से खसरा नं. 144 (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर अवैध मुरूम उत्खनन की जांच की
गई। निरीक्षण करने पर उत्खनन कार्य करता हुआ कोई भी वाहन मशीन नहीं पाये गये, परंतु मुरूम
उत्खनन के पुराने व नवीन निशानात पाये गये। उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ
कि यह अवैध उत्खनन श्री मोनू सिंह निवासी- ग्राम- ग्वारी के द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा
कभी-कभी दिन में तो कभी रात में पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन कर डम्फरों के द्वारा मुरूम का
विक्रय किया जाता है। उपस्थित लोगों में से दो लोग श्री लल्लू सिंह ठाकुर निवासी- ग्राम रिमझा
तथा श्री चरण सिंह ठाकुर निवासी- ग्राम- मढ़पिपरिया तह0 पाटन के द्वारा इस संबंध में अपने
बयान दर्ज कराये गये। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग मंदिर में दर्शन हेतु अक्सर आते रहते
हैं तभी हमारे द्वारा कई बार मुरूम का अवैध उत्खनन करवाते हुये मोनू सिंह को देखा गया है।
ग्रामवासी उसके विरूद्ध बयान देने से डरते हैं।

उक्त पहाड़ी के निचले हिस्से में मुरूम उत्खनन के ताजे निशानों के माप ग्रामीणों के
समक्ष की गई जिसमें लगभग 10 मीटर लंबाई, औसतन 09 मीटर चौड़ाई तथा औसतन 8.3 मीटर
ऊचाई का मुरूम उत्खनन के फलस्वरूप निर्मित स्थान पाया गया। इस प्रकार कुल 747.00 घ.मी.
मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।

उक्त बयानकर्ता श्री लल्लू सिंह तथा श्री चरण सिंह के द्वारा दिये गये कथन एवं मौका
स्थिति निरीक्षण उपरान्त अनावेदक मोनू सिंह निवासी- ग्राम- ग्वारी तह0 पाटन का उपरोक्त कृत्य
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1),(1-ए) तथा नियम मध्यप्रदेश
खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 के तहत
दण्डनीय है।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम
18 (1),(2) के अनुसार अवैध उत्खनन किये गये खनिज मुरूम की मात्रा 747.00 घ.मी. की रायल्टी
राशि रूपये 37350.00 की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 560250/- एवं समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति की
राशि 560250/- है। इस प्रकार नियम 18(3),(4) के अनुसार अवैध उत्खननकर्ता द्वारा, अधिरोपित
कुल शास्ति राशि 1120500/- तथा प्रशमन शुल्क 1000/- रूपये जमा कराये जाने पर प्रकरण में
प्रशमन किया जा सकता है। अन्यथा प्रशमन नहीं करने की स्थिति में नियम 18(5),(6) के अनुसार
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अधीन प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत।

प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय को प्रेषित
किये जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

खनि अधिकारी

G:\DMLRC\2024\ORDERS\04-April 24\0024-A-67-23-24 Mining-Monu Singh.doc

-1-

District Magistrate

Scanned with CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला जबलपुर

क्रमांक/ 607 /रीडर/अ0वि0अ0/2020 पाटन दिनांक 29.06.2020

।।आदेश।।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी पाटन(सामान्य वन मंडल) जबलपुर के पत्र क्रमांक-147 दिनांक 07.03.2020 अनुक्रम में धनेटा पहाडी ख0नं0 42 एवं 144 में स्थानीय दबंगों एवं हथयारबंद उत्खननकर्ताओं द्वारा रात्रि में उत्खनन कार्य किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा जानकारी दिये जाने पर विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना व्यक्त की गई है।

अतः धनेटा पहाडी पर अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु निम्नानुसार टास्कफोर्स का गठन किया जाता है।

क्र0	अधिकारी का नाम एवं पद	रिमार्क
1	पदेन तहसीलदार पाटन	अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक/ पटवारी को प्रश्नागत अवैध उत्खनित क्षेत्र का प्रतिवेदन लिया जावे।
2	पदेन नायब तहसीलदार पाटन-2	
3	पदेन वन परिक्षेत्र अधिकारी पाटन	राजस्व विभाग/पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय में सयुक्त क्षेत्र का नियमित आकस्मिक निरीक्षण किया जावे।
4	पदेन नगर निरीक्षक पाटन	अधीनस्थ पुलिस दल को रात्रि कालीन गस्त की जाकर नियमित निरीक्षण किया जावे।

उपरोक्त गठित टास्कफोर्स(कार्यदल) का यह दायित्व होगा कि नियमित की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन अनिवार्यः भेजना सुनिश्चित करेंगें।

29/6/20

(सिद्धार्थ जैन IAS)
अनुविभागीय अधिकारी
पाटन, जिला जबलपुर
म.प्र

पृष्ठांकन क्रमांक/ 607 /रीडर/अ0वि0अ0/2020 पाटन दिनांक 29.06.2020

प्रतिलिपिः-1-कलेक्टर महोदय खनिज शाखा जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2- वन मंडल अधिकारी(सामान्य) जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पाटन की ओर सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- सर्व संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी पाटन को पालनार्थ।

29/6/20

अनुविभागीय अधिकारी
पाटन, जिला-जबलपुर
म.प्र

OFFICE OF THE RANGE OFFICER PATAN
220
30/6/20

Scanned by CamScanner

Joint committee Report in OA 21/2025

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Mon, Apr 28, 2025 12:29 PM

Subject : Joint committee Report in OA 21/2025 1 attachment

To : billa sahil <billa.sahil@gmail.com>

Cc : parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>, M P State Mining Corp Bhopal <info.mpsmc@mp.gov.in>, PS MINING <secymining@mp.gov.in>, Director Directorate GeologyMining <dirgeomn@nic.in>, Ashok Sinha <tg035.ifs@nic.in>, dfotjbp <dfotjbp@mp.gov.in>, Collector Jabalpur <dmjabalpur@nic.in>, romppcbjbp <romppcbjbp@rediffmail.com>

Sir

Please find enclosed the copy of the joint committee report submitted in compliance of order dated 04.03.2025 passed by Hon'ble NGT in **OA 21-2025 (Manohar Singh v State of MP & Ors.)**. This mail may be treated as proof of service.

Regards
Legal Section
MP PCB

NGT_OA_21_2025_IR-signed.pdf
18 MB